जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण सं0 74/2018 (RCMS 2018/00142) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. श्री लाभ सिंह पुत्र श्री शंकर लाल सोनी 2. श्रीमती सुनीता रानी पत्नी लाल सिंह वार्ड नं 16,सादुलशहर श्रीगंगानगर 3. श्रीमती सुमित्र पत्नी श्री लालचन्द सोनी, वार्ड नं 09, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.01.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री मनेष कुमार बिश्नोई उपस्थित है। उनकी बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक का कथन है प्रार्थी बैंक द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण 1. श्री लाभ सिंह 2 श्रीमती सुनीता रानी को ऋण सुविधा के रूप में 9,00,000/–रूपये (अखरे रूपये नौ लाख़ मात्र) दिनांक 23.10.2015 को ऋण स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण ऋणियों श्री लाभ सिंह व श्रीमती सुमित्रा रानी द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय मकान वार्ड नं 16, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया, जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 28.09.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण ऋणियों के नाम दिनांक 02.08.2018 को 1,57,777/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड ऐ.डी. नोटिस दिनांक 07.02.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसलिए अप्रार्थीगण ऋणी श्री लाभ सिंह व श्रीमती सुनीता रानी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज मे प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई उक्त आवासीय सम्पत्ति वार्ड नं 16 सादुलशहर (क्षेत्रफल 18'9''गुणा 52'9'') का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाये।

मैने प्रार्थी कम्पनी के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी श्री लाभ सिह, श्रीमती सुनीता रानी एवं श्रीमती सुमीत्रा को दिनांक 23.10.2015 को ऋण सुविधा के रूप में 9,00,000/—(अखरे रूपये नौ लाख) की ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी श्री लाभ सिंह एवं श्रीमती सुनीता रानी द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय मकान वार्ड नं 16, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी है और इनके अतिरिक्त श्रीमती सुमीत्रा पत्नी लालचंद द्वारा भी अपनी गारंटी दी गई है **किन्तु बैंक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा 14 में गारंटर के विरूद्ध कोई राहत नही चाही है।** प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक 28.09.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया और बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 07.02.2018 को बकाया राशि 1,57,777/— रूपये वसूली करने के लिए 60 दिवस का रजिस्टर्ड ऐ.डी. नोटिस जारी किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पत्ति आवासीय मकान स्थित वार्ड नं 16, सादुलशहर, जिला श्रीगंगागनर जो ऋणी श्री लाभ सिंह एवं श्रीमती सुनीता रानी के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है। उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। **इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।**

जहां तक धारा 13(2) के नोटिस जो ऋणी श्री लाभ सिंह श्रीमती सुनीता रानी एवं गारंटर श्रीमती सुमीत्रा को जारी किये गये है। नोटिस जारी होने की तामील का प्रश्न है **नोटिस जारी करने सम्बन्धी पोस्ट ऑफिस की रसीदे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं गई है** एवं जो रजिस्टर्ड ऐ.डी. रसीद प्रस्तुत की गई है वह ऋणी श्री लाभ सिंह एवं श्रीमती सुनीता रानी दोनों के संयुक्त नाम से एक ही साथ एक ही लिफाफे में भेजने की रसीद प्रस्तुत की गई है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि दोनो ऋणियों पर तामील हो चुकी है। **गारंटर श्रीमती सुमीत्रा को भी रजिस्टर्ड नोटिस प्राप्त होने सम्बन्धी कोई ऐ.डी. रसीद प्रस्तुत नहीं**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

की गई है जबकि प्रत्येक ऋणी व गारंटर को अलग–अलग नोटिस उनके नाम से भेजे जाकर तामील होनी चाहिए। वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत बने नियमों के नियम 3 के अन्तर्गत **धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणी के स्वयं पर या उसकी ओर से अधिकृत अभिकर्ता पर होनी आवश्यक है।** इसप्रकार उक्त ऋणियो/गारंटर पर धारा 13(2) के नोटिस **की तामील के अभाव में प्रार्थी बैंक का धारा 14 का प्रार्थना पत्र ऋण की एवज में रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलवाने संबंधी स्वीकार नहीं किया जा सकता,** जब तक उक्त ऋणियों एवं गारंटर पर उक्त अधिनियम 2002 के अन्तर्गत बने नियम 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत धारा 13(2) के नोटिस की तामील नहीं हो जाती है। इसलिए प्रार्थी बैंक को निर्देशित किया जाता है कि वह **अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत उक्त ऋणियों व गारंटर नोटिस जारी कर उक्त अधिनियम 2002 व उसके तहत बने नियम 2002 के तहत विधिवत् व उचित प्रक्रिया के माध्यम से तामील करवाकर अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण रूप से पालना करते हुए पुनः प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर